

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती रताति गुप्ता, आर.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 2019/066
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री बाजा सिंह जाति रायसिख आसु- 56 वर्ष निवासी- खाटलवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
.....प्रार्थी

बनाम

1. बाजा सिंह पुत्र श्री राग सिंह जाति रायसिख निवासी- खाटलवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

2. कलवन्त सिंह पुत्र श्री बाजा सिंह जाति रायसिख निवासी- खाटलवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

3. सुरजीत कौर पुत्री श्री बाजा सिंह जाति रायसिख आसु- 56 वर्ष निवासी-खाटलवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)। ---मृतका

3/1. जसवन्त सिंह पुत्र कलवन्त सिंह (माता-सुरजीत कौर) जाति रायसिख निवासी-गांव मूलेयांवाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।

3/2. गुरचरण सिंह पुत्र कलवन्त सिंह (माता-सुरजीत कौर) जाति रायसिख निवासी गांव मूलेयांवाली तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।

3/3. छिन्दो बाई पत्नी विक्रम सिंह पुत्री कलवन्त सिंह (माता-सुरजीत कौर) जाति रायसिख निवासी- गांव पतरेवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।

3/4. सोमा बाई पत्नी कलवन्त सिंह व पुत्री कलवन्त सिंह (माता-सुरजीत कौर) जाति रायसिख निवासी-गांव पतरेवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।

4. मनजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर पुत्री बाजा सिंह (पत्नी पाला सिंह) जाति रायसिख निवासी- गांव तुंतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) ---मृतका

4/1. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र पाला सिंह (माता-मनजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर) जाति रायसिख निवासी गांव तुंतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

4/2. सुरेन्द्र कौर पुत्री पाला सिंह (माता-मनजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर) जाति रायसिख निवासी गांव तुंतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

4/3. गुरप्रीत कौर पुत्री पाला सिंह (माता-मनजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर) जाति रायसिख निवासी गांव तुंतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

5. अमरजीत कौर पुत्री बाजा सिंह (पत्नी-गुरमीत सिंह) जाति रायसिख निवासी गांव खाटलवाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर
.....अप्रार्थीगण

उपस्थित- श्री विरेन्द्र पाल सिंह (प्रार्थी)

श्री जीतपाल सिंह सैनी (अप्रार्थी 02)

पैरोकार राज (अप्रार्थी 06)

दिनांक:-09 दिसम्बर, 2025

-निर्णय-

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि उपरोक्त अनवानी वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990,

5 एक ही वंश के है। अप्रार्थी सं० 1 को प्रार्थी के पूर्वजों दादा/परदादा से निर्मलखित कृषि भूमि विरासतन मिली हुई है तथा उसके नाम से प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 ता 5 के संयुक्त हिन्दु खानदान के कर्ता व मैनेजर के रूप में खातेदारी दर्ज है, जबकि प्रार्थी का उपरोक्त भूमि में जन्म से हक हिस्सा बनता है, इस प्रकार प्रार्थी निर्मलखित भूमि में कानूनन 1/6 हिस्सा का हकदार है। चक 1 जे बडा, पटवार हल्का खाटलवाना तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं० 61/48, मु० न० 57 के किला नं० 1 ता 25 की 6.325 हैक्टे० में से 3.794 हैक्टे० अप्रार्थी सं० 3 ता 5 के विवाह उपरोक्त जदी जायदाद की आय से किये गये तथा वह अपने अपने घरों में खुश व आबाद है, इस प्रकार इनको स्त्रीधन के रूप में हिस्सा प्राप्त हो चुका है तथा पारिवारिक समझौता के अनुसार उपरोक्त भूमि 3.794 हैक्टे० में अप्रार्थी सं० 1 ता 5 ने प्रार्थी का 1/3 हिस्सा स्वीकार कर मौके पर कब्जा भी प्रार्थी को दिया हुआ है, अतः प्रार्थी 5 वीघा भूमि पर काविज चला आ रहा है, कब्जा प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 1 व 2 का संयुक्त रूप से है, अभी तक खाता का विभाजन नहीं किया। अप्रार्थी सं० 1 जो कि वृद्ध हो चुका है, अपना भला बुरा सोच पाने में असमर्थ है तथा गलत लोगों के प्रभाव में आया हुआ है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर हडपने के प्रयास में है तथा इस कारण अप्रार्थी सं० 1 उपरोक्त जदी जायदाद को बिना विभाजन करवाये, बिना प्रार्थी की सहमति के ना केवल मुंतकिल करने के प्रयास में है बल्कि प्रार्थी को स्वयं अथवा अन्य की सहायता से जबरन वेदखल करना चाहता है, यदि वह इसमें सफल हो गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा क्योंकि प्रार्थी की मौजूदा फसल काश्ता है तथा दावा का मकसद समाप्त होगा तथा मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। लिहाजा प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश करके अर्ज है कि ताफेंसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर की सादिर की जावें कि अप्रार्थीगण चक 1 जे बडा, पटवार हल्का खाटलवाना तहसील श्री गंगानगर के खाता सं० 61/48, मु० नं० 57 के किला नं० 1 ता 25 की 6.325 है० में से अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज 3794/6325 अर्थात् 15 वीघा में से किसी भूमि को रहन वैय मुंतकिल करने, प्रार्थी को स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन वेदखल करने से वाज व ममनु रहे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2022 RBJ 763, 2022 RBJ 765, 2023(1) DNJ 595 (Rev.) प्रस्तुत किये।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की मद सं० 1 के इस हद तक स्वीकार है कि वादी/प्रार्थी का वादपत्र माननीय न्यायालय किया जा चुका है शेष तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है प्रार्थी का प्रथम दृष्टय मामला नहीं बनता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में नहीं है इसलिए प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र की मद सं० 2 इस हद तक स्वीकार है कि अप्रार्थी सं० 1 प्रार्थी का पिता है अप्रार्थी सं० 2 ता 5 अप्रार्थी सं० 1 के पुत्र पुत्रियां है शेष तथ्य गलत होने के कारण अस्वीकार है चक 1 जे बडा, पटवार हल्का खाटलवाना तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं० 61/48 के मु० नं० 57 के किला नं० 1 ता 25 की 6.325 हैक्टे० में से 3.794 हैक्टे० भूमि अप्रार्थी सं० 1 के नाम से है उक्त भूमि अप्रार्थी सं० 1 को पिता/दादा/परदादा से विरासतन प्राप्त नहीं हुई है और ना ही उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु खानदान की है उक्त भूमि अप्रार्थी सं० 1 की स्वयं अर्जित सम्पत्ति है जिसका अप्रार्थी सं० 1 अकेला मालिक है। प्रार्थना पत्र की मद सं० 3 जिस प्रकार से दर्ज की गई है स्वीकार नहीं है अप्रार्थी सं० 1 के नाम से दर्ज उक्त भूमि जददी जायदाद नहीं है तथा अप्रार्थी सं० 3 ता 5 के विवाह जददी जायदाद भूमि की आय से नहीं स्वयं अर्जित भूमि की आय से किये गये हैं तथ्य स्वीकार नहीं है कि अप्रार्थी सं० 1 ता 5 द्वारा कोई पारिवारिक समझौता किया गया हो जिसके अनुसार प्रार्थी का 1/3 हिस्सा स्वीकार किया गया है यह तथ्य भी स्वीकार नहीं है कि प्रार्थी 5 वीघा भूमि पर काविज चला आ रहा है सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी सं० 1 ही काविज चला आ रहा है। प्रार्थनापत्र की मद सं० 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है अप्रार्थी सं० 1 आज भी पूर्णतय स्वरथ है तथा श्रीगंगानगर शहर घरेलू कार्य के लिए आता जाता है यह तथ्य गलत है कि अप्रार्थी सं० 1 अपना भला बुरा सोच पाने में असमर्थ हो तथा गलत लोगो के प्रभाव में है अप्रार्थी सं० 1 का रकबा अन्य सहकारतकारो के साथ साझा खाते में है जिसका अभी तक वंटवारा नहीं हुआ है अप्रार्थी सं० 1 के नाम से दर्ज

कलक्टर एड
न्यायालय दारुनाय
(कार्य देक) श्रीगंगान

भूमि किलावाइज दर्ज नहीं है चूंकि प्रार्थी के पास कोई रकवा कब्जे में नहीं है और ना ही प्रार्थी द्वारा फसल काश्त करने का सवाल ही पैदा होता है इसलिए जवरने वेदखल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी सं० 1 उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि अप्रार्थी सं० 1 को पुनर्वास विभाग अलॉट हुई है जिसकी किश्ते अप्रार्थी सं० 1 द्वारा जमा करवाई गई है इसलिए अप्रार्थी सं० 1 की उक्त भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त भूमि जददी जायदाद नहीं है प्रार्थी ने कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे साबित होता हो कि भूमि जददी जायदाद है इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी में है प्रार्थी के कब्जे में कोई भूमि नहीं है इसलिए प्रार्थी को कोई नुकसान भी नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 के जीवनकाल में प्रार्थी के कोई अधिकार सृजन नहीं होते हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे तो श्रीमान की कृपा होगी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हमें विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुओ, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति पर विचारण करना होगा।

1 जे बड़ा, पटवार हल्का खाटलबाना तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं० 61/48 अप्रार्थी संख्या 01 रिकॉर्डेड खातेदार है जो कि एडमिट फैक्ट है तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित हैं। अप्रार्थी संख्या 01 को प्रश्नगत आराजी जरिये सनद संख्या 9933/2054 प्राप्त हुई है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरुद्ध एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।


प्रार्थी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थी का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त हो। अतः बिन्दू सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

वाद की विषयवस्तु विवादित आराजी का जददी जायदाद में जन्म से हक व हिस्सा होने के कारण अपने अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु प्रस्तुत किया हुआ है। जबकि प्रार्थी यह सिद्ध करने में नितान्त असफल रहा है कि प्रश्नगत आराजी किस प्रकार से जददी जायदाद है। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत सनद संख्या 9933/2054 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त प्रश्नगत आराजी पुनर्वास विभाग से अलॉट हुई है जो कि स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। अतः अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के विरुद्ध एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

—: आदेश :-

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा चक 1 जे बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के सं० 61/48, मु० नं० 57 के किला नं० 1 ता 25 की 6.325 है० को खारिज किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2019/066 अनवानी जसविन्द्र सिंह बनाम बाजा सिंह व अन्य खारिज किया जाता है। मूल वाद के निस्तारण तक विविध पत्रावली संख्या 2019/066 मूल वाद संख्या 2019/089 के साथ नत्थी रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09.12.2025 को जारी किया गया।


स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)

सहायक मकाल कंट्रोल (फास्ट ट्रैक)
काय श्रीगंगानगर न्यायालय
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर